न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील संख्याः–334/2019 (जीसीएमएस 2019/00257)

1. विक्रम सिंह पुत्र सागर सिंह जाति राजपूत निवासी बृजबाला कॉलोनी मोती बंधा कुम्हारों की ढ़ाणी के पास ग्राम मांचड़ा, तहसील आमेर, जिला जयपुर हाल शेखावत कृषि फार्म मोती बंधा रोड़ मांचड़ा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

––––अपीलांट

बनाम

1. सुरेश कुमार पुत्र सूरजभान जाति अहीर निवासी ग्राम गोंद, तहसील नारनौल, जिला महेन्द्रगण, हरियाणा।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
3. श्रीमती प्रमिला यादव पुत्री श्री दयानन्द यादव पत्नी रतिराम यादव जाति अहीर निवासी प्लॉट नम्बर 102 आनन्द विहार, झोटवाड़ा, जयपुर।

––– रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांक 08.09.2021

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर, मु. ज़यपुर, के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 03.12.2019 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष भूमि खसरा नम्बर 929 रकबा 1.78 हैक्टेयर, वाके ग्राम मांचड़ा तहसील आमेर, जिला जयपुर के संबंध में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत रिकॉर्ड दुरुस्ती बाबत् रेस्पोडेंट संख्या 1 व 3 ने आपस में मिलीभगत व नाजायज सांठगांठ कर सही व वास्तविक तथ्यों को छिपाकर अपीलार्थी की भूमि को हड़पने की नियत से फर्जी बनावटी व कूटरचित इस्तावेजात तैयार कर मिथ्या आधारों पर आवेदन प्रस्तुत किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही तथा विधि के प्रतिपादित सिद्धान्तों व अन्य तथ्यों की अनदेखी कर दिनाँक 03.12.2019 नियम विरुद्ध निर्णय पारित कर दिया, जिसके विरुद्ध उक्त अपील न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.12.2019 विधि विरुद्ध एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों व विधि के प्रतिपादित सिद्धान्तों के प्रतिकूल होने के कारण निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायायल ने जो निर्णय पारित किया है व नैसर्गिक न्याय व प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त के विपरीत पारित किया है एवं सभी कानूनी प्रतिपादित सिद्धान्तों की अवहेलना व अनदेखी कर पारित किया हैं, जिससे अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व न तो अपीलार्थी को जवाब व सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया, न ही विवादग्रस्त भूमि का कोई मौका निरीक्षण किया, न ही रिपोर्ट मंगवाई तथा उक्त निर्णय करने न्याय व कानून के प्रतिपादित सिद्धान्तों के प्रतिकूल पारित करने में भारी कानूनी भूल की है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। उन्होने यह भी कथन किया है कि रेस्पोडेंट संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दत्तक पुत्र बतलाकर आवेदन प्रस्तुत किया हैं तथा इन्द्राज दुरुस्ती के आधार पर

संभागीय आयुक्त जयपुर

P.T.O.

खातेदारी चाही गई है, जबकि उक्त प्रकरण धारा 136 एल.आर. एक्ट की परिभाषा में नहीं आता है तथा मामला इन्द्राज दुरुस्ती का नहीं है, बल्कि खातेदारी अधिकारों के संबंध में है, जिससे कानूनन धारा 136 एल.आर. एक्ट में खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते हैं, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 136 एल.आर. एक्ट में ही निर्णय पारित कर खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये है, जो कि कानून के विपरीत हैं, जिससे अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय इसी आधार पर निरस्त होने योग्य है। उन्होंने आगे यह भी कथन किया है कि रेस्पोडेंट संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत दत्तक पुत्र होने व वसीयत के आधार पर प्रस्तुत किया हैं, जबकि दत्तक पुत्र व वसीयत के संबंध में किसी प्रकार की कोई घोषणा करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को अधिकार प्राप्त नहीं हैं, बल्कि इस संबंध में सिविल न्यायालय द्वारा ही अनुताश प्रदान किया जा सकता है तथा इस संबंध में केवल नियमित वाद द्वारा ही कार्यवाही किया जाना संभव है एवं सिविल न्यायालय को ही क्षेत्राधिकार प्राप्त है तथा रेस्पोडेंट संख्या 01 द्वारा जब तक सिविल न्यायालय से दत्तक पुत्र व वसीयत के संबंध में घोषणा नहीं करवा ली जाये, तब तक रेस्पोडेंट संख्या 01 को राजस्व न्यायालय के समक्ष उक्त भूमि के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही वाद व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त नही है, उक्त सभी तथ्य व इस्तावेजात अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध थे, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं देकर तथा अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर निर्णय पारित करने में भारी कानूनी भूल की है, जिससे अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय इसी आधार पर निरस्त होने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि उक्त प्रकरण में विरासत के नामान्तकरण के संबंध में विवाद बतलाया गया है, जो केवल या तो नामान्तकरण की कार्यवाही या नियमित वाद द्वारा ही निस्तारित किया जा सकता है, जबकि रेस्पोडेंट संख्या 01 द्वारा उक्त विरासत के नामान्तकरण को कोई चुनौती नही दी है तथा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ही एक नियमित वाद उनवानी सुरेश बनाम विक्रम सिंह रेस्पोडेंट संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत किया गया था जो विचाराधीन है तथा वर्तमान में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर शहर दक्षिण, जयपुर मे लम्बित है, इसके अलावा उक्त भूमि के खातेदारों के मध्य एक अन्य वाद उक्त भूमि के संबंध में बनारसी देवी बनाम विक्रम सिंह बाबत् तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा भी विचाराधीन है, जिससे न्यायालय ए.सी.एम. आमेर मु. जयपुर द्वारा निर्णय दिनाँक 30.06.2017 को पारित कर प्राथमिक डिक्री जारी कर दी है तथा प्रकरण विचाराधीन है, जिससे रेस्पोडेंट सं. 01 का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कानूनन पोषणीय ही नहीं था एवं उक्त सभी तथ्य अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध थे तथा रेस्पोडेंट संख्या 01 को भली प्रकार से जानकारी थी, लेकिन उक्त सभी तथ्यों को छिपाकर तथा अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं देकर कानून के विरीत निर्णय पारित करने मे भारी कानूनी भूल की है, जिससे अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त होने योग्य है। उन्होंने आगे कथन किया है इन्द्राज पुत्र बक्साराम का उक्त भूमि में 2/5 हिस्सा बतौर काश्तकार अंकित हैं एवं इन्द्राज के स्वर्गवास के पश्चात् उनकी विरासत का नामान्तरकरण संख्या 228 द्वारा इन्द्राज के वारिसान पत्नी शान्ति देवी, पुत्र ओमप्रकाश तथा पुत्रिया शकुन्तला, विद्या, कृष्णा, सुशीला, उर्मिला के नाम उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड मे बतौर खातेदार अंकित हुआ तथा इन्द्राज की पुत्रियों विद्या, कृष्णा व सुशीला ने जरिये विक्रय पत्र दिनाँक 07.10.2005 को अपना हिस्सा अपीलार्थी को बेचान कर दिया तथा अपीलार्थी उक्त भूमि पर मकानात व बाउण्ड्रीवाल का निर्माण करवाकर काबिज होकर उपयोग-उपभोग करता चला आ रहा है तथा इन्द्राज के अन्य वारिसान ने अपना हिस्सा

P.T.O.

रेस्पोडेंट संख्या 03 को जरिये विक्रय पत्र बेचान कर दिया, इस प्रकार रेस्पोडेंट संख्या 01 का उक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई कब्जा आदि नहीं है तथा रेस्पोडेंट संख्या 01 ने इन्द्राज के उक्त वारिसान को उक्त प्रकरण में पक्षकार भी नहीं बनाया, उक्त सभी तथ्य एवं दस्तावेजात अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध थे, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं देकर तथा उनके विपरीत जाकर निर्णय पारित करने में भारी कानूनी भूल की हैं, जिससे अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त होने योग्य हैं।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि उक्त भमि के संबंध मे ही रेस्पोडेंट संख्या 01 व उसके अन्य भाईयों ने एक वाद बाबत् घोषणा, दुरुस्ती इन्द्राज, स्थायी निषेधाज्ञा एवं तकासमा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ही उनवानी रतिराम बनाम विक्रम सिंह वगैहरा वाद संख्या 489/2005 ओंकार के पुत्रान बतलाकर प्रस्तुत किया था तथा उक्त वाद में सभी ने ओंकार के पुत्रान होना अंकित किया था जबकि उक्त सभी सूरजभान के पुत्र है एवं उक्त वाद में किसी भी वसीयत व दत्तक पुत्र के संबंध मे कोई अभिवचन नहीं किये गये, उक्त वाद को राजीनामा हो जाने व प्रतिवादीगण के विरुद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहने के आधार पर दिनाँक 13.02.2006 को विड्रा के आधार पर खारिज किया गया एवं तत्पश्चात् रेस्पोडेंट संख्या 01 के भाई रतिराम ने उक्त भूमि का विक्रय पत्र अपनी पत्नी रेस्पोडेंट संख्या 03 के नाम करवा लिया एवं इसके पश्चात् रेस्पोडेंट संख्या 01 ने फर्जी बनावटी व कूटरचित दस्तावेज तैयार कर तथा ओंकार का दत्तक पुत्र बतलाकर एक अन्य वाद उनवानी सुरेश यादव बनाम विक्रम सिंह वगैहरा बाबत् घोषणा, बंटवारा व स्थायी निशेधाज्ञा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर शहर दक्षिण, जयपुर में विचाराधीन है तथा रेस्पोडेंट संख्या 01 ने प्रोपर उपचार प्राप्त कर कार्यवाही कर रखी है, उक्त सभी तथ्य अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध थे, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इन सबकी अनदेखी कर तथा उनके विपरीत जाकर पश्चातवर्ती प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट के प्रार्थना पत्र पर उक्त निर्णय पारित करने में भारी कानूनी भूल की है, जिससे अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त होने योग्य हैं।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय मे उक्त इन्द्राज के वारीसान द्वारा सम्पूर्ण हिस्सा जरिये विक्रय पत्र अन्य दीगर व्यक्तियों को बेचान कर देने के तथ्य अंकित किये है तथा रेस्पोडेंट संख्या 03 द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 01 से मिलीभगत कर स्वीकार किये गये तथ्यों के आधार पर तथा वसीयत व एक अन्य न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के आधार पर उक्त निर्णय पारित कर रेस्पोडेंट संख्या 01 के हित में उक्त संपत्ति के अधिकार निहित हो जाने के तथ्य अंकित किये है, जबकि उक्त निर्णय में वर्णित तथाकथित वसीयत नारनौल में स्थित अन्य संपत्ति के संबंध मे ही नारनौल में स्थित न्यायालय द्वारा पारित किया गया निर्णय है, जबकि रेस्पोडेंट सं 03 ने विचाराधीन नियमित वाद में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों के संबंध में आपत्ति व विरोध किया है तथा सभी तथ्यों को इकार किया है एवं उक्त संपत्ति से रेस्पोडेंट संख्या 01 का किसी प्रकार का कोई संबंध व सरोकार नही होने के तथ्य अंकित किये हैं, जिससे यह साबित है कि रेस्पोडेंट संख्या 01 व 03 आपस में मिले हुए है तथा आपस में मिलीभगत कर स्वीकार किये गये तथ्यों के आधार पर कानूनन कोई निर्णय कानून के विरुद्ध पारित नहीं किया जा सकता, उक्त सभी तथ्य व दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध थे, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं देकर निर्णय पारित करने मे भारी कानूनी भूल की है, जिससे

अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त होने योग्य हैं। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनाँक 03.12.2019 निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया कि ओंकार पुत्र बक्शाराम द्वारा प्रार्थी के पक्ष में की गई पंजीकृत वसीयत दिनाँक 08.05.1985 के द्वारा प्रार्थी विवादित संपत्ति में ओंकार पुत्र बक्शाराम के 1/5 हिस्से का मालिक, अधिकारी एवं स्वामी हैं एवं प्रार्थी ओंकार पुत्र बक्शाराम के 1/5 हिस्से की भूमि पर प्रार्थी काबिज है। प्रार्थी ओंकार के हिस्से की भूमि का उपयोग, उपभोग कर रहा है, वसीयत के आधार पर स्व. ओंकार पुत्र बक्शाराम की नारनौल न्यायालय में स्थित सम्पत्तियों का मालिक भी प्रार्थी को मानते हुए न्यायालय ने वसीयती उत्तराधिकारी की डिक्री प्रार्थी के पक्ष में जारी की है। उन्होने आगे कथन किया है कि वाके ग्राम मांचेड़ा, तहसील आमेर, जिला जयपुर में स्थित खसरा नम्बर 929 रकबा 1.78 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी के पूर्वज स्व. ओंकार, सूरजभान, श्रीराम, इन्द्रराज व गणपत पुत्रान बक्सा के नाम राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज थी जिसमें से सूरजभान एवं श्रीराम ने विवादित भूमि में अपने हिस्से का बेचान तेजसिंह पुत्र शुभकरण का कर दिया था तथा प्रार्थी (सुरेश) के दत्तक पिता ओंकार पुत्र बक्शाराम की मृत्यु सन् 1994 में हो गई थी। ओंकार की सम्पत्ति का नामान्तरकरण तस्दीक होते वक्त प्रार्थी फौज में अपनी ड्यूटी पर तैनात था। मृतक ओंकार का हिस्सा 1/5 भी राजस्व कर्मचारियों ने गलती से पूर्व मृतक भाई इन्द्रराज पुत्र बक्शा के नाम दर्ज कर दिया, जबकि इन्द्राराज की मृत्यु दिनॉक 13.07.1985 को ओंकार के स्वर्गवास के पूर्व ही हो गई थी इस प्रकार इन्द्रराज पुत्र बक्शा के नाम कुल जमीन में हिस्स 2/5 गलत रुप से दर्ज कर दिया गया।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कथन किया है कि इन्द्रराज की मुत्यु के बाद इन्द्रराज के पक्ष में विवादित भूमि में सहवन से चले आ रहे 2/5 हिस्से का नामान्तरकरण उसके वारिसान के नाम खुल गया। राजस्व रिकॉर्ड में गलत अंकन के आधार पर इन्द्रराज के वारिसानों ने दर्ज हिस्सा अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 को बेचान कर दिया। जो कि प्रार्थी के हिस्से तक प्रार्थी के अधिकारों को प्रभावित नहीं करता तथा प्रार्थी के हिस्से एवं अधिकारों तक शून्य व बेअसर है, क्योंकि मृतक ओंकार का हिस्सा प्रार्थी के नाम दर्ज होना चाहिए था। उन्होने आगे कथन किया है कि विवादित अराजियात स्व. बक्शाराम के पुत्रान के नाम थी जिसमें कि मृतक बक्शाराम के प्रत्येक पुत्र का हिस्सा 1/5 बनता है, नारनौल में स्थित ओंकार पुत्र बक्शाराम के नाम दर्ज संपत्तियां प्रार्थी के नाम दर्ज की गई हैं। उन्होने कथन किया है कि राजस्व कर्मचारियों से साज करके राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के हिस्से को हड़पने की नीयत से इन्द्रराज का विरासत का नामान्तरकरण 1/5 हिस्से की बजाय 4/5 हिस्सा मानकर बिना कब्जे की जाँच एवं बिना वास्तविक तथ्यों की जाँच किए बगैर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन कर दिया गया तथा इन्द्रराज व उसके वारिसान का विवादित भूमि में 1/5 हिस्से की भमि पर ही कब्जा चला आ रहा हैं।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कथन किया है कि प्रतिप्रार्थी संख्या 01 व 02 में 2/5 हिस्से के आधार पर मृतक इन्द्रराज की संपत्ति खरीदी है जो विधि विरुद्ध है तथा उसका विक्रय पत्र भी प्रार्थी के हिस्से की भूमि तक भून्य व बेअसर है। मृतक ओंकार द्वारा विवादित भूमि में 1/5 हिस्से की प्रार्थी के पक्ष में की गई पंजीकृत वसीयत के आधार पर प्रार्थी विवादग्रस्त संपत्ति में 1/5 हिस्सा का मालिक है और वसीयत के अनुसार प्रार्थी विवादग्रस्त संपत्ति में ओंकार के हिस्से पर काबिज, काश्त हैं जिससे प्रथम

दृष्टया ही केस प्रार्थी के पक्ष में बखुबी साबित है, प्रार्थी ओंकार के 1/5 हिस्से की संपत्ति का जरिये रजिस्टर्ड वसीयत मालिक अधिकारी एव स्वामी है, जब तक वाद का निस्तारण नहीं हो जाता है। प्रार्थी, अप्रार्थीगणों को पाबन्द करवाने का अधिकारी है। उन्होने आगे कथन किया है कि मिन अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 03 जो इन्द्रराज के वारीसान द्वारा की क्रय की है। रेस्पोडेंट संख्या 03 अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट सभी जिम्मन नम्बरों को स्वीकार कर वारिस राजनामा पेश किया है कि खसरा नम्बर 929 रकबा 1.78 हैक्टेयर में से रेस्पोडेंट संख्या 01 सुरेश कुमार को बहिस्सा 1/5 राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार काश्तकार अकन किया जाता है तो मुझ उत्तरदाता को कोई आपत्ती नहीं है। इस प्राकर भी सह–खातेदार द्वारा राजस्व रिकॉर्ड की लगत प्रविष्टि को सुधार हेतु जवाब राजीनामा प्रस्तुत कर दिया जाता है तो उक्त रिकॉर्ड को दृरुस्त किया जाना न्याय संगत एवं विधिवत् सही है। उन्होंने आगे कथन किया है कि राज्य सरकार जरिये तहसीलदार आमेर द्वारा अीनस्थ न्यायालय के समक्ष जमाबंदी संवत् 2025–2028 के अनुसार ओंकार का हिस्सा सम्पूर्ण रकबे मे 1/5 व इन्द्रराज का हिस्सा 1/5 दर्ज था, जो हाल भू–प्रबंध कार्यवाही के दौरान जारी मिसल भू–प्रबंध जमाबंदी के खाता संख्या 09 खसरा नम्बर 929 रकबा 1.78 हैक्टेयर में इन्द्रराज पुत्र बक्शाराम जाति अहीर हिस्सा 2/3 सहवन से दर्ज है जिसमें ओंकार का हिस्सा व नाम विलोपित है तथा साबिक रिकॉर्ड अनुसार इन्द्रराज का हिस्सा उक्त रकबे में 1/5 ही था तथा जरिये नामान्तरकरण संख्या 228 से उक्त आराजी में इन्द्रराज का हिस्सा 2/5 वारिसान के नाम दर्ज हुआ तथा इन्द्रराज के वारीसान ने उक्त सपूर्ण हिस्सा 2/5 अन्य दिगर व्यक्तियों को बेजान कर दिया जो वाद में प्रतिवादीगण है। इस प्रकार से भी अपीलांट द्वारा इन्द्रराज व उसकी फुट स्टेप पर वारिसान के हिस्से को क्रय किये जाने से केवल 1/5 हिस्से तक का ही क्लेम कर सकता है। जिस पर वह बतौर काबिज है। रेस्पोडेंट संख्या–01 के हिस्सा 1/5 पर अपीलांट का कोई क्लेम पेश नही रहता है। उन्होने आगे कथन किया है कि राज्य सरकार द्वारा राजस्व (ग्रुप–6) विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.6(12) राज16/92/26 दिनॉक 20.12.1995 जो मूलतः धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 से जुडा है। भू–प्रबंध के दौरान भू–प्रबंध कर्मचारी/अधिकारियों द्वारा धारा 123 व 125 की आड मे कब्जे के आधार पर खातेदारी भूमि को सिवायचक/चरागाह या इसके विपरीत सिवायचक चारागाह को खातेदारी में अंकित कर दिया जाता है या राजस्व रिकॉर्ड मे गैर खातेदारी या खातेदारी का जो भी अंकन भू–प्रबंध कार्यवाही से पूर्व का है उसे नया रिकॉर्ड मे दोहराया जाना चाहिये, जब तक की किसी सक्षम न्यायालय का इन इन्द्राजात को बदलने का आदेश ना हो। भू–प्रबंध विभाग को यह अधिकार नहीं है कि राजस्व रिकॉर्ड में आये इन्द्राजात को अपने स्तर पर बदले। यदि ऐसे इन्द्राजात भू–प्रबध के दौरान बदले गये हो तो उनकी दुरुस्ती धारा 136 एल.आर. एक्ट के अन्तर्गत की जायेगी तथा इन अंकनों की दुरुस्ती हेतु अलग से दावा लाया जाना आवश्यक नही होगा। इस प्रकार भू–प्रबंध विभाग को नये इन्द्राज करने, पुराने इन्द्राज को विलोपित करने या उसमे संशोधन करने का अधिकार नहीं हैं एवं लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर जिसके कि अधिकार उपखण्ड अधिकारी में निहित है, भू–प्रबंध कार्यवाही पूर्व हो जाने एव रिकॉर्ड प्राप्त हो जाने के बाद धारा 136 में कार्यवाही करने को सक्षम है, ऐसे संशोधन के आदेश पारित कर सकता है। उपरोक्त सभी तथ्यों के मद्देनजर ही अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर द्वारा उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त एव नियमा अन्तर्गत प्रार्थना पत्र का विधिक तौर पर परीक्षण करने के उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.12.2019 पारित किया गया है जिसमे किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावे।

P.T.O.

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के संलग्न तहसीलदार आमेर के पत्रांक 4436 दिनांक 20.08.2019 उन्होने अंकित किया है कि जमाबन्दी सम्वत् 2025–2028 के अनुसार औंकार का हिस्सा सम्पूर्ण रकबे में 1/5 व इन्द्राज का हिस्सा 1/5 दर्ज था जो हाल भू प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान जारी मिसल भू प्रबन्ध जमाबन्दी के खाता संख्या 9 खसरा नम्बर 929 रकबा 1.78 हैक्टयर में इन्द्राज पुत्र बक्शाराम जाति अहीर हिस्सा 2/5 दर्ज है जिसमें औंकार का नाम विलोपित माना है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 929 रकबा 1.78 हैक्टयर में रिकार्ड की गलत प्रविष्टि को न्यायालय द्वारा दुरूस्त किया जाता है तो रेस्पोडेन्ट संख्या 3 को किसी प्रकार का उज्रात नही होना कथन किया है एवं न्यायालय एडिशनल सिविल जज नारनौल के अपने निर्णय द्वारा औंकार का उत्तराधिकारी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 सुरेश को माना है गया हैं। ऐसी स्थिति में उपरोक्त समस्त तथ्यों के मद्देनजर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, आमेर जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.12.2019 में किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.12.2019 को यथावत रखा जाता है।

8/9/2021

(दिनेश कुमार यादव)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 08.09.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

8/9/2021

संभागीय आयुक्त
जयपुर